संख्या-123/2024/1533/सैंतीस-2-2024-1(41)/05

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-18 जुलाई, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-142/सा0-1/एक्स-120(188)/निर्माण/2024-25, दिनांक-12.07.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-119/2024/1391(2)/सैंतीस-2-2024/001-1(41)/05, दिनांक-08.07.2024 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) में प्राविधानित बजट के सापेक्ष 02 आवासीय एवं 02 अनावासीय पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु रू0-147.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में पशुचिकित्सालयों के सम्मुख अंकित स्वीकृत धनराशि का वास्तविक योग रू0-137.59 लाख हो रहा है, जबकि वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश दिनांक-08.07.2024 में कुल स्वीकृत धनराशि रू0-147.59 लाख अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः शासनादेश दिनांक-08.07.2024 में अंकित कुल स्वीकृत धनराशि रू0-147.59 लाख के स्थान पर रू0-137.59 लाख पढ़ी जाये।

2- शासनादेश दिनांक-08.07.2024 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-123/2024/1533(1)/सैंतीस-2-2024-1(41)/05, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।